BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली

दिनांक 06-11-2026

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा वाद सं0 154/2021 मु0अ0सं0 267/21 धारा 363,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना बिनौली से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त सुमित पुत्र सन्नू निवासी मूल निवासी सम्भलहेडा थाना मीरापुर हाल पता सीमाद्वार शास्त्रीनगर थाना बसन्त बिहार देहरादून , उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



baghpatpolice

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 06.11.2026

पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों के कल्याण, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए अक्टूबर माह में अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन, बीमा एवं अन्य कल्याणकारी प्रकरणों में की गई त्वरित कार्यवाही।

📌 पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा जनपद बागपत में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों को विभागीय कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ सुगमता एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 09.10.2026 से 31.10.2026 तक विभिन्न वेलफेयर संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर प्रधान लिपिक शाखा एवं आंकिक शाखा के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। इस अवधि में कुल 240 कल्याणकारी प्रकरणों का निस्तारण तथा 102 वित्तीय देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया गया।

1.अवकाश संबंधी प्रकरणों का निस्तारणः- पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 29 चिकित्सा/उपार्जित अवकाश प्रकरणों के अतिरिक्त 51 उपार्जित अवकाश, 05 प्रसूति अवकाश, 11 बाल्य देखभाल अवकाश एवं 03 चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किए गए।

2.चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएः- पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों के उपचार संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए 132 चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई।

3.जीवन रक्षक निधि के माध्यम से आर्थिक सहायताः- आवश्यकता के समय पुलिसकर्मियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से जीवन रक्षक निधि के अंतर्गत 03 पुलिसकर्मियों को अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई।

4.पेंशन एवं बीमा संबंधी प्रकरणों का निस्तारणः- सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 02 पेंशन प्रकरण एवं 02 बीमा प्रकरण स्वीकृत किए गए।

5.दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सेवायोजनः- दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सेवायोजन का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 02 प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय प्रेषित किए गए।

6.वित्तीय देयकों का त्वरित भुगतानः- आंकिक शाखा द्वारा पुलिसकर्मियों के विभिन्न वित्तीय देयकों का भुगतान सुनिश्चित करते हुए 12 यात्रा भत्ता, 76 चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं 14 सामान्य भविष्य निधि (GPF) संबंधी कुल 102 प्रकरणों में भुगतान किया गया।

पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण, उनकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के संवेदनशीलतापूर्वक समाधान तथा विभागीय सुविधाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। संबंधित शाखाओं के माध्यम से कल्याणकारी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं वित्तीय देयकों के भुगतान की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि पुलिसकर्मी पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।


उत्तर प्रदेश पुलिस